# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**बद्रीनारायण बनाम कल्याण**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/2/25 | | |
| 29/12/2025 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/01/2026 को पेश हो। | |
| 06/01/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रारूपिक रेस्पो. संख्या 5 मुकेश शर्मा एवं अपीलार्थी बद्रीनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 20/12/2022 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14/12/2023 पारित करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुये ग्राम पातलवास पटवार मण्डल सानकोटडा के खसरा नम्बर 215 को स्थगन आदेश दिनांक 20/12/2022 से मुक्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विस्तुत विवेचन करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की गयी है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14/12/2023 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से ख़ारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये पुन: विधिसम्मत आदेश पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो<br><br>निर्णय आज दिनांक 06/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |